14/02/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई वकील
वादी उपस्थित वाद पत्र स्वीकार किया जाता
है चिन्हित निर्णय अलग से लिखकर
जारी शामिल किया गया डिक्री जारी
हो नियम से बाद हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2024/508

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण नं. 241/2024 GCMS-2024/508 दायरा दिनांक 27.08.2024

सुशील पुत्र लालचन्द उर्फ कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी सिंगरासर हाल आबाद गणेशगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.।

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207, 209 आर.टी.ए.

उपस्थित :–

1. श्री कुलविन्द्रसिंह एडवोकेट – वादी
2. पेरोकार राज नायब तहसीलदार – प्रतिवादी

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 14.02.2025**

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि वादी के पिता लालचन्द उर्फ कृष्णलाल के नाम से वाके रोही सिंगरासर पटवार हल्का सिंगरासर की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता संख्या 322/305 के खसरा नं. 868 में 13.164 हैक. बारानी दोयम में 4.309 हैक. में से 1/5 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी ने उक्त वाद पत्र के माध्यम से केवल अपने पिता के नाम की घोषणा चाही है। वादी का वाद डिक्री होने पर अन्य किसी भी सहखातेदार के हित प्रभावित नही होते है और ना ही किसी की हिस्साकसी प्रभावित होती है। अन्य सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया है। वादी के पिता का नाम जैरवाद भूमि की जमाबन्दी मे लालचन्द दर्ज है। जबकि सरकारी रिकार्ड में जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड व वादी के पिता का मृत्यु प्रमाण में नाम कृष्णलाल दर्ज है। जिससे यह पूर्णतय साबित है की वादी के पिता का नाम जमाबन्दी मे लालचन्द व अन्य दस्तावेजो मे नाम कृष्णलाल अंकित है। जिससे यह साबित है कि वादी के आधार कार्ड व वादी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र मे नाम कृष्णलाल है। वादी के पिता को इन दो नामो से पुकारा जाता है। इसलिए भी वादी अपने पिता का नाम लालचन्द उर्फ कृष्णलाल करवाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। प्रतिलिपि आधार कार्ड व वादी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न वाद पत्र हैं। इन सभी दस्तावेजात से साबित हैं कि वादी का वाद पत्र सरकारी दस्तावेजात पर आ[illegible] व यह बात भी पूरी तरह से साबित हैं कि वादी के पिता [illegible] नाम भिन्न–भिन्न होने यानि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में लालचन्द [illegible] अन्य दस्तावेजात में अलग नाम होने से भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि बैंक से ऋण आदि लेने,

लगातार पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहकारी समिति से सरकारी सहायतार्थ बीज आदि लेने फव्वारा पद्धति से सिंचाई हेतु सहायता आदि प्राप्त करने पर जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात में नामो मे भिन्नता होने से वादी किसी प्रकार से कोई सहायता आदि प्राप्त नहीं कर सकता हैं। इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत एवं साधारण सम्मन तलब किया गया। पत्रावली तलबी होकर दिनांक 22.10.2024 को पेश हो। दिनांक 30.12.2024 को जबाब स्टेट पेश किया गया, शामिल मिसल रहे। वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 01.01.2025 को पेश हो। दिनांक 07.01.2025 को वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किये, शामिल मिसल रहे। ब्यान शपथ पत्र पेश किये, शामिल मिसल रहे। वास्ते साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 20.01.2025 को पेश हो। दिनांक 22.01.2025 को गवाह लेखराम, रेवन्तराम व गुडडी देवी ने उपस्थित होकर साक्ष्य वादी ब्यान शपथ पत्र पेश किये तथा वकील वादी द्वारा फार्म नं. 3 के साथ ग्राम पंचायत गणेशगढ़ व सिंगरासर की लेटर पेड पेश की, शामिल मिसल रहे। साक्ष्यवादी जिरह NILL रही। साक्ष्यवादी और नही कराना चाहते है। साक्ष्य वादी बन्द किये जाते है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30.01.2025 को पेश हो। दिनांक 03.02.2025 को बहस सुनी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर साबित होता है कि वाके रोही सिंगरासर पटवार हल्का सिंगरासर की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता संख्या 322/305 के खसरा नं. 868 में 13.164 हैक. बारानी दोयम में 4.309 हैक. में से 1/5 हिस्सा भूमि में वादी के पिता का लालचन्द अंकित है, जबकि अन्य दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड व वादी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम कृष्णलाल दर्ज है। साक्ष्यवादी व गवाहान व ग्राम पंचायत द्वारा जारी लेटर पेड इन सभी दस्तावेज से साबित होता है कि वादी के पिता के दो नाम है। इसलिए वादी के पिता का नाम लालचन्द पुत्र फुसाराम के स्थान पर लालचन्द उर्फ कृष्णलाल पुत्र फुसाराम दर्ज करना उचित समझते है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके रोही सिंगरासर पटवार हल्का सिंगरासर की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता संख्या 322/305 के खसरा नं. 868 में 13.164 हैक. बारानी दोयम में 4.309 हैक. में से 1/5 हिस्सा भूमि में लालचन्द के स्थान पर लालचन्द पुत्र फुसाराम के स्थान पर लालचन्द उर्फ कृष्णलाल पुत्र फुसाराम अंकित किया जावे व तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आशय का पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:25 IST
Reason: Self Attested

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
एंव सहायक जिलाधीश
सूरतगढ़

–: संशोधन डिक्री ब मुक्द्दम इख्तदाई :–

(ओ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़

बइजलास – सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

सुशील पुत्र लालचन्द उर्फ कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी सिंगरासर हाल आबाद गणेशगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.।

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़।

– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 207, 209 आरटीए मुकदमा नं. 241/2024 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादी श्री कुलविन्द्रसिंह पेश होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके रोही सिंगरासर पटवार हल्का सिंगरासर की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता संख्या 322/305 के खसरा नं. 868 में 13.164 हैक. बारानी दोयम में 4.309 हैक. में से 1/5 हिस्सा भूमि में लालचन्द पुत्र फुसाराम के स्थान पर लालचन्द उर्फ कृष्णलाल पुत्र फुसाराम अंकित किया जावे व इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज .....X..... मुबलिग .....X..... बाबत् .....X..... खर्चा इस मुकदमें मय शूद्व बशरह .....X..... कस्दो की पालना .....X.....आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14/02/25 को जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:25 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)